निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2014 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही ।

निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण) बिहार, पटना की अध्यक्षत मे दिनांक 24.12.14 को 11.00 बजे पूर्वाहन मे विकास भवन स्थित डा0 मदन मोहन झा समृति सभागार मे नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

1. स्थापना

(i) सेवांत लाभः– स्व0 राधेश्याम, लिपिक, के सेवान्त लाभ मामले के संबंध में श्री मनोज कुमार शर्मा, उप निदेशक (छपरा) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट खारिज होने की बात कही गई पर ऊराधिकार पत्र अबतक अप्राप्त रहने की सूचना दी गयी। स्व0 झूलन चौधरी, लिपिक, का मामला ऊराधिकार पत्र अप्राप्त रहने के कारण विचाराधीन है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात अग्रेत्तर कारवाई की जायेगी। इन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु लिखा गया है। निदेशालय द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया। कार्यरत कर्मचारियों की सेवापुस्त अद्यतन करने का निदेश उप निदेशक (स्थापना) द्वारा दिया गया ताकि ए0 सी0 पी0 देने में कोई परेशानी न हो।

(ii) न्यायालय वादः– न्यायालय से संबंधित मामालों के निष्पादन में तत्परता बरतने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मुख्यालय को भेजे जाने वाले मासिक विवरणी को ससमय भेजने का निदेश दिया गया। सभी कार्यालयों में न्यायालयवाद शून्य रहने की सूचना दी गयी।

(iii) सूचना का अधिकारः– उप निदेशक (नियोजन) स्थापना प्रभारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संबंध में जिन कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त है उन्हें त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया। साथ ही ससमय मासिक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(iv) जन शिकायतः– उप निदेशक स्थापना द्वारा निदेश दिया गया कि जन शिकायत से संबंधित मामले को श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस आलोक में ऐसे मामलों की पूरी तत्परता से निष्पादन के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना अपेक्षित है ताकि मामले को निस्तारित माना जाय।

(v) पदस्थापन एवं स्थानांतरणः– श्री इन्द्रकांत चौधरी, लिपिक, अ0प्रा0नि0, दरभंगा एवं श्री रामेश्वर पंडित, लिपिक, जिला नियोजनालय मोतिहारी सेवानिवृत होने वाले है। इन दोनों कर्मी के सेवानिवृत होने के पश्चात एक–एक महिला कर्मी कार्यरत रहने की सूचना दी गई। अतएव इनके सेवानिवृति के पश्चात शीध्रताशीध्र कर्मी पदास्थापित करने का आग्रह किया गया। निदेशालय द्वारा इस मामले पर विचार करने की सूचना दी गई।

(vi) चतुर्थवर्गीय कर्मी की नियुक्ति एवं पदस्थापनः– चतुर्थवर्गीय कर्मी की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न जिला पदाधिकारियों के यहाँ तैयार पैनल से नाम अग्रसारित करने हेतु निदेशालय द्वारा अधियाचना भेजी गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में चतुर्थवर्गीय कर्मी के नियुक्ति हेतु तैयार पैनल से सबंधित विषय के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति प्रकिया समय पर नहीं हो पाने की सूचना दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा यह सूचना दी गई कि प्रशिक्षण पक्ष में चतुर्थवर्गीय कर्मी के

अनुबंध के आधार पर सेवा ली गई है। उप निदेशक (स्थापना) द्वारा प्रशिक्षण पक्ष से संपर्क कर इस सभावना पर विचार करने की बात की गयी। पटना यूर्निवसिटी ब्यूरो में कार्यरत् योगेन्द्र रजक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का सेवानिवृति जनवरी माह में होने की सूचना दी गई है। शेख मोहम्मद सलीम, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा चतुथवर्गीय–सह–झाडूकश का सेवानिवृति भी जनवरी माह में होने की सूचना दी गई है।

2. योजना एवं गैर योजना

(i) निदेशक महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि योजना मद में खर्च किए गए राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अबिलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(ii) जिन कार्यालयों में मेला कराने के पश्चात् राशि शेष है। उन्हें अबिलंब समर्पित किया जाये। अन्यथा अतिरिक्त मेला आयोजित कर कम से कम 1,00,000 (एक लाख) युवाओं को रोजगार दिलाने के लक्ष्य को पूरा किये जाने का निदेश निदेशक महोदय द्वारा दिया गया। इस आलोक में विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1,00,000 (एक लाख) बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा।

(iii) श्री राम मोहन झा, सहायक निदेशक, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अतिरिक्त मेला करवाने की सूचना दी गई और इस संबंध में तिथि निश्चित करके अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेशालय नियोजन का आदेश प्राप्त करने के संबंध में आश्वासन दिया गया।

(iv) योजना एवं गैर योजना मद में व्यय राशिः– योजना एवं गैर योजना मद में खर्च की गई राशि की समीक्षा की गई। आवंटित राशि से कम खर्च किये जाने पर विचार किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुए राशि खर्च करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों से खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र शीध्र भेजने हेतु निदेश दिया गया।

(v) क्षेत्रीय कार्यालयों को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध मेः– क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कार्य प्रकृति में परिवर्तन पर विचार किया गया। पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण तक पहुच (outreach) एवं गतिशीलता (Mobility) में हो रही कठिनाई पर विचार किया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पूर्ण प्रमाणिकता के साथ, वाहन के लिए प्रस्ताव (Proposal with full justification) भेजने का निदेश दिया गया ताकि अग्रेतर कार्रवाई हो सके।

(vi) कार्यालय व्यय, विद्युत मद, परिवहन भत्ता, एवं दूरभाष भत्ता में अतिरिक्त राशि की माँगः–

इस संबंध में किये गये माँगों पर सहमति व्यक्त करते हुए उप निदेशक, श्री निर्मल कुमार झा द्वारा अग्रेतर कारवाई का आश्वासन दिया गया।

(vi) नियोजन मेला से संबधित

1. पटना यूनिर्वसिटी ब्यूरो के नियोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 में नियोजन मेला करवाने में खर्च ज्यादा हो गया था जिसकी स्वीकृति निर्गत कराया जाय।साथ ही साथ वर्ष 2010 में आयोजित नियोजन मेला में जो टेन्ट लगाया गया था उसकी स्वीकृत्यादेश भी लंबित है।

4. E.M.I रिपोर्ट

बैठक के दौरान सभी नियोजनालयों के द्वारा भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक (ES-3) अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं द्विवार्षिक ((ER-1 एवं E.R-2) प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयों का E.M.I प्रतिवेदन लंबित पाया गया। इस क्रम में उपनिदेशक (नियोजन) द्वारा लंबित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5. विविध

विधान सभा/विधान परिषद के तरांकित/अतारांकित प्रश्न लंबित न होने की सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गई।

1. क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्र क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं हो पाता।

2. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का ई–मेल आई0 डी0 का वितरण किया गया।

3. नियोजनालय में ई0 निबंधन में जोर देने की बात कहीं गई।

4. श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा आग्रह किया गया कि उनका टी0 ए0 बिल स्वीकृत किया जाय।

5. खगड़िया के नियोजन पदाधिकारी, श्री नूरअहसन को निदेश दिया गया कि उनके एवं खगड़िया में पदस्थापित चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के विरूद्ध जो परिवाद प्राप्त हुआ है उसपर अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करने साथ ही साथ कोशी प्रमण्डल, सहरसा को जाँच प्रतिवेदन शीध्र भेजने का निदेश दिया गया।

अगली समीक्षात्मक बैठक दिनांक -------- को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर सुनिश्चित की जानी है। जिसमें आपकी भागीदारी अपेक्षित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

ह0/–
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो0–5023/2014– 58 पटना–15, दिनांक– 15.01.15

प्रतिलिपिः– 1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/सभी उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित/ सभी सहायक निदेशक (नियोजन) / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/ सभी नियोजन पदाधिकारी (वि0 वि0 नि0 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2. निदेशालय नियोजन स्थित सभी पदाधिकारी / सभी सहायक / सभी लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3. आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

15.1.15
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

V.K
15.01.2015

M meeting8